राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः–प.9(1)पद सृजन/गृह–10/2019 जयपुर,दिनांक–14.05.2020

–:आदेशः–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय यथा सीकर, राजसमन्द, चित्तौडगढ, चूरू एवं जालौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी किये जाने हेतु विशेष लोक अभियोजक के पद हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन के कुल 5 अस्थाई पदों का सृजन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 एल–15 के अन्तर्गत वित्त (व्यय–4) विभाग की आई डी संख्या 102001315 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा सहमति प्राप्त कर एतद् द्वारा किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय यथा सीकर, राजसमन्द, चित्तौडगढ, चूरू एवं जालौर में पैरवी हेतु विशेष लोक अभियोजक, राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन के पद तुरन्त प्रभाव से सृजित किये जाते है।

अभियोजन निदेशालय उक्त पदों को IFMS पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हेः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–IV) विभाग।

विशिष्ट शासन सचिव,गृह

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है–

1. विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सीकर, राजसमन्द, चित्तौडगढ, चूरू एवं जालौर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
3. सहायक निदेशक अभियोजन सीकर, राजसमन्द, चित्तौडगढ, चूरू एवं जालौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित वरिष्ठतम अभियोजन अधिकारी को उक्त नवसृजित पदों का कार्यभार तुरन्त प्रभाव से सौपें।
4. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।